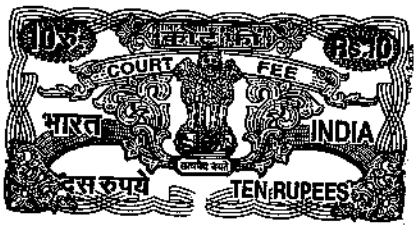
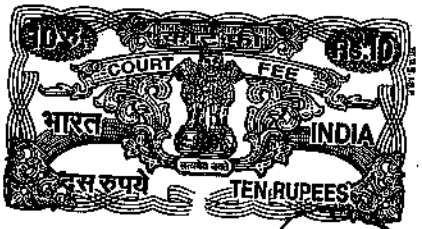

न्यायालय माननीय बोर्ड ऑफ रेवन्यू ग्वालियर कैंप भोपाल (म0प्र0)

प्र0क्रं0 /2016 निगरानी

मणीभाई पुत्र श्री कुंजीलाल जाति अहिरवार नि.ग्राम बंडवा तेह. गुलाबगंज जिला विदिशा (म0प्र0)

———निगरानीकर्ता

—बनाम—

विजयकुमार अग्रवाल पुत्र श्री विमलकुमार अग्रवाल नि. अरिहंत विहार कॉलोनी कॉलोनी (म0प्र0)

———प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.विरूद्व आदेश दिनांक 28.10.15 प्र.क्र.64/अ—6/14—15 विजय कुमार अग्रवाल —बनाम—मणीभाई न्यायालय तेहसीलदार तेहसील—गुलाबगंज जिला— विदिशा (म0प्र0)

माननीय महोदय्

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है—

यह कि प्रतिप्रार्थी/आवेदक विजयकुमार अग्रवाल ने एक आवेदन एक आवेदन अन्तर्गत धारा 109—110 म.प्र.भू.रां.स. के तहत निगरानीकर्ता/अनावेदक मणीभाई के विरूद्व इस आशय का प्रस्तुत किया कि " आवेदक के द्वारा प्रतिप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम बंडवा प.ह.नं.32 तेह. गुलाबगंज जिला विदिशा स्थित आराजी क.97/4 रकवा 0.483 हे., को रजि.विक्रय पत्र द्वारा क्रय करके मौके पर कब्जा प्राप्त किया है उक्त भूमि पर नामांतरण किये जाने की प्रार्थना की।

यह कि दिनांक 25.08.15 को निगरानीकर्ता मणीभाई ने इस आशय की आपत्ती पेश की कि " वह ग्राम वंडवा का निवासी होकर एक सीधा साधा व्यक्ति है वह छोटा सा किसान है उसे 3,00,000/—रू. अंकन तीन लाख रूपये की जरूरत थी तो उसने रामबाबू गुर्जर से कहा कि मुझे ब्याज पर कही से पैसे दिलवा दो , साल 6 महिने में वापिस कर दूँगा। तो इस पर रामबाबू ने कहा कि मैं विजय कुमार अग्रवाल से बात करता हूँ कि वह तुम्हें दे देवेंगा। एक दो दिन बाद रामबाबू ने कहा कि तुम्हे जमीन की लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। विजय कुमार अग्रवाल बगैर लिखापढ़ी के पैसे नही दे रहा है चूँकि मणीभाई को पैसा की जरूरत थी तो उसने रामबाबू के कहने पर व उस पर विश्वास करते हुये हॉ कर दी। उक्त कर्ज की लिखा पढ़ी दी मणीभाई ने अपने

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1259–एक/16 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–5–16	प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर नामांतरण का है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति को इस आधार पर निरस्त किया है कि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है यह अधिकार व्यवहार न्यायालय को है और अनावेदक पक्ष इस न्यायालय में आवेदक चाहे तो उपरोक्त संबंध में व्यवहार न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार ने विवादित भूमि के बंधन होने के संबंध में आवेदक को संबंधित बैंक से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है एवं प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु नियत किया है । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सत्यस्य	